संख्या- 43/2016/वे0आ0-2-1011/वेतन समिति-03/दस-2016-03(वे0स0)/दस-2016

प्रेषक,

श्री अजय अग्रवाल,
सदस्य सचिव, वेतन समिति एवं
सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/
प्राविधिक शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा विभाग/
समाज कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/
कृषि शिक्षा विभाग/कारागार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (वेतन समिति) **लखनऊः दिनांकः 17 अगस्त, 2016**

विषयः-सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति के प्रयोगार्थ **शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मियों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर** सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में राज्य के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमान, भत्तों/सुविधाओं आदि के पुनरीक्षण पर संस्तुति देने हेतु श्री जी0 पटनायक, सेवानिवृत्त आई0ए0एस0 की अध्यक्षता में वेतन समिति का गठन शासकीय संकल्प दिनांक 11 अगस्त 2016 द्वारा किया गया है। वेतन समिति को उक्त विषयक संस्तुतियां दिये जाने हेतु संलग्न रूपपत्रों पर सूचनाओं की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समिति को संस्तुतियाँ प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा को देखते हुए अपने अधीनस्थ विभागों की सूचनायें संलग्न रूपपत्रों पर (तीन प्रतियों में) तथा उक्त निर्धारित प्रपत्रांे पर तैयार की गयी सूचना की सी0डी0 वेतन समिति के कार्यालय (कमरा नम्बर-39, नवीन भवन उत्तर प्रदेश सचिवालय) में दिनांक 25 अगस्त 2016 तक उपलब्ध कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सदस्य सचिव, वेतन समिति
एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 43/2016/वे0आ0-2-1011(1)/वेतन समिति-03/दस-2016-03(वे0स0)/दस-2016,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को उपर्युक्त रूपपत्रों की प्रतियाँ संलग्न करते हुए इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त सूचनायें निर्धारित समयसीमा तक वेतन समिति कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

अजय अग्रवाल
सदस्य सचिव, वेतन समिति
एवं सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग का नाम.....

प्रशासनिक विभाग का नाम.....

वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना ।

<u>शिक्षकों के सम्बन्ध में सूचना (माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कारागार विभाग एवं कृषि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित)</u>

क्रमाक	पदनाम	दिनांक 1-1-2016 को स्वीकृत/भरे पदों की संख्या	पद का वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन यदि कोई हो ।	पद पर भर्ती का स्रोत तथा निर्धारित अर्हता	अन्य विवरण यदि अन्य कोई हों।
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

नोट-1. राजकीय विभागों के अन्तर्गत विद्यमान शिक्षण संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर की संकलित सूचना अलग-अलग तालिका में प्रेषित की जाय।

2. शैक्षिक पदों हेतु लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था एवं सम्बन्धित शासनादेशों की प्रतियॉ संलग्न की जायें।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

विभाग का नाम.....

प्रशासनिक विभाग का नाम.....

<u>वेतन समिति को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना ।</u>

<u>शिक्षणेत्तर कार्मिकों के सम्बन्ध में सूचना (माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कारागार विभाग एवं कृषि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित)</u>

क्रमाक	पदनाम	दिनांक 1-1-2016 को स्वीकृत/भरे पदों की संख्या	पद का वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा विशेष वेतन यदि कोई हो ।	पद पर भर्ती का स्रोत तथा निर्धारित अर्हता	अन्य विवरण यदि अन्य कोई हों।
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**

नोट-राजकीय विभागों के अन्तर्गत विद्यमान शिक्षण संस्थाओं एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर की संकलित सूचना अलग-अलग तालिका में प्रेषित की जाय।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।